

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / 80 /2019


दिनांक : 07.09.2019

श्रीमती मीना अवस्थी (RJ0443), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-03, भरतपुर को दिनांक 16.09.2019 से 27.09.2019 तक 12 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 14.09.2019 से 15.09.2019 एवं 28.09.2019 से 29.09.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री अशोक कुमार टाक (RJ0372), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 04, भरतपुर को श्रीमती मीना अवस्थी के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-03, भरतपुर के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

- (1) ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।
- (2) श्री अशोक कुमार टाक (RJ0372), जिनको अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-03, भरतपुर के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है ।

आज्ञा से


67-9-19


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/76/2002/ 8548

दिनांक : 7.09.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 6290 दिनांक 30.08.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती मीना अवस्थी (RJ0443), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-03, भरतपुर ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-03, भरतपुर ।
5. श्री अशोक कुमार टाक (RJ0372), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 04, भरतपुर ।
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 04, भरतपुर ।
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।


7.9.2019
सहायक रजिस्ट्रार